GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3839

TO BE ANSWERED ON THE 12TH AUGUST, 2025/ SRAVANA 21, 1947 (SAKA)

OLD PENSION SCHEME TO BSF

3839. SHRI DEEPENDER SINGH HOODA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government considers Border Security Force (BSF) as a Civilian Force rather than an Armed Force of the Union despite its combat roles;

(b) the steps taken by the Government to restore the Old Pension Scheme (OPS) to these personnel, which was withdrawn since 2004;

(c) whether the Ministry of Home Affairs, vide Office Memorandum dated 23 May, 2025, extended honorary ranks to Constables and Sub-Inspectors on retirement without financial implications but has denied similar honorary recognitions to Assistant Commandants, Deputy Commandants and Commandants who have actively served in Naxalite zones and counter-insurgency operations and if so, why this discriminatory treatment continues; and

(d) whether the Supreme Court, in its judgment dated 23 May, 2025 has ruled in favour of granting Organized Group A Services (OGAS) status to CAPFs and if so, concrete steps have been taken to implement this order?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(SHRI NITYANAND RAI)

(a) Border Security Force (BSF) is one of the Central Armed Police Forces

(CAPFs) for ensuring the security of the borders of India.

www.govtstaff.com

(b) The issue/ matter is presently sub-judice and is pending adjudication before the Hon'ble Supreme Court of India.

(c) The Government has granted benefits of Honorary Rank (one rank above the present rank) to Personnel Below Officer Rank (Constable to Sub-Inspector) on the last day of retirement without any financial or pensionary benefit in order to instill a sense of self-respect, pride and morale to the personnel who retire after rendering long meritorious service in the Force.

(d) The Government of India has filed review petition seeking review of the Judgment dated 23.05.2025 which is presently sub-judice and is pending adjudication before the Hon'ble Supreme Court of India.

******

www.govtstaff.com

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3839
दिनांक 12 अगस्त, 2025 /21 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

बीएसएफ़ के लिए पुरानी पेंशन योजना

†3839. श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को उसकी युद्धकारी भूमिका के बावजूद संघ के सशस्त्र बल के बजाय एक सिविल बल मानती है;

(ख) सरकार ने इन कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं जिसे 2004 से वापस ले लिया गया था;

(ग) क्या गृह मंत्रालय ने 23 मई 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से वित्तीय लाभ के बिना सेवानिवृति पर कांस्टेबलों और उप-निरीक्षकों को मानद रैंक प्रदान की है लेकिन नक्सली क्षेत्रों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से सेवा करने वाले सहायक कमांडेंट, उप कमांडेंट और कमांडेंट को समरूप मानद पद-मान्यता देने से मना कर दिया है और यदि हॉ, तो यह भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों जारी है; और

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने 23 मई 2025 के अपने निर्णय में सीएपीएफ को संगठित समूह 'क' सेवा (ओजीएएस) का दर्जा देने के पक्ष में फैसला सुनाया है और यदि हॉ, तो इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में से एक है।

(ख) वर्तमान में उक्त मुद्दा/मामला विचाराधीन है और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु लंबित है।

(ग) सरकार ने बल में लम्बी प्रशंसनीय सेवा करने के बाद सेवानिवृत होने वाले अधिकारी पद से नीचे (सिपाही से उप निरीक्षक तक) के कार्मिको में आत्म-सम्मान एवं गर्व की भावना तथा मनोबल को बढ़ाने हेतु सेवानिवृति के अंतिम दिन उन्हें एक पद ऊपर मानक पद बिना किसी वित्तीय या पेंशन लाभ के प्रदान किया है।

(घ) भारत सरकार ने दिनांक 23.05.2025 के निर्णय की समीक्षा हेतु समीक्षा याचिका दायर की है, जो वर्तमान में विचाराधीन है और यह भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु लंबित है।

******

www.govtstaff.com